उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1430/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.244-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(306)-2023

लखनऊः दिनांकः 06 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-848/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(15)-2017 दिनांक 30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

पूर्वोक्त अधिसूचना में,

i. खंड (i) में, शब्द "ओमनिबस या कोई अन्य मोटर यान" के स्थान पर, शब्द या ओमनिबस को छोड़कर कोई अन्य मोटर यान रख दिये जायेंगे;

ii. खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: -
"(इक) किसी ओमनिबस द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं, सिवाय इसके कि जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवा की पूर्ति करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है।";

iii. स्पष्टीकरण में, मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्, -
“(घ) "कंपनी" का वही अर्थ होगा जो इसके लिये कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) की धारा 2 के खंड (20) में समनुदेशित है।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

6/11/23

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव